

NOTIFICATIONNew Delhi, the 29th January, 2019**No. 02/2019-Integrated Tax**

G.S.R. 68(E).—In exercise of the powers conferred by section 20 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017) read with sub-section (2) of section 23 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No.7/2017-Integrated Tax, dated the 14th September, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 1155(E), dated the 14th September, 2017, namely: -

In the said notification, in the proviso, in clause (b), for the figures, “151”, the figure “5” shall be substituted.

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of February, 2019.

[F. No. 20/06/16/2018-GST (Pt. II)]

GUNJAN KUMAR VERMA, Under Secy.

Note : The principal notification No.7/2017-Integrated Tax, dated the 14th September, 2017, was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 1155(E), dated the 14th September, 2017.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जनवरी, 2019

सं. 3/2019-एकीकृत कर

सा.का.नि. 69(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 23 की उप-धारा (2) के साथ पठित एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 20 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 10/2017-एकीकृत कर, तारीख 13 अक्टूबर, 2017, जो भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. सं. 1260(अ), तारीख 13 अक्टूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना के परंतुक में, “संविधान के अनुच्छेद 279क के खंड (4) के उपखंड (छ) में यथा विनिर्दिष्ट “विशेष प्रवर्ग राज्यों” के मामले में, जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय” शब्दों, कोष्ठकों, अक्षरों और अंकों के स्थान पर “उक्त धारा के स्पष्टीकरण के खंड (iii) के साथ पठित, उक्त अधिनियम की धारा 22 की उपधारा (1) के पहले परंतुक” शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे।

2. यह अधिसूचना 1 फरवरी, 2019 से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 20/06/16/2018-जीएसटी (भाग-II)]

गुंजन कुमार वर्मा, अवर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं. 10/2017-एकीकृत कर, तारीख 13 अक्टूबर, 2017, भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. सं. 1260(अ), तारीख 13 अक्टूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th January, 2019

No. 03/2019-Integrated Tax

G.S.R. 69(E).—In exercise of the powers conferred by section 20 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017) read with sub-section (2) of section 23 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of